सार-समाचार

एलबीएस के विद्यार्थियों ने चार स्वर्ण, एक रजत एवं तीन कांस्य पदक जीते

कोटा, (निसं)। 68वीं जिलास्तरीय खेल प्रतियोगिता में एलबीएस के विद्यार्थियों द्वारा भिन्न-भिन्न खेल प्रतियोगिता मे भाग लिया था जिसमें अमीषी ने कराटे मे प्रथम स्थान स्वर्ण, प्रिया शर्मा ने कुश्ती मे प्रथम स्थान स्वर्ण, दिव्या कुश्ती अंडर 17 में स्वर्ण, आरूषी कक्कड़ ने ताईक्वांडो मे प्रथम स्थान स्वर्ण, मिर्जा बेग ने ताइक्वांडो मे रजत और श्रेया पारीक, श्रीजा पारीक एवं प्राची सिंह ने बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, और छात्रों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। विद्यालय के चेयरमैन श्री कुलदीप माथुर जी ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल बच्चों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, बल्कि हमारे विद्यालय के खेल कार्यक्रम की गुणवत्ता और हमारे सभी छात्रों के समर्पण का भी प्रमाण है। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर एलबीएस ग्रुप के एकेडमिक डायरेक्टर एस.के.माहेश्वरी, डॉक्टर शिल्पा माथुर, योगेंद्र माथुर, वर्षा माथुर, सुरेंद्र नागर आदि ने बधाई दी। इस सफलता से विद्यालय में हर्ष और उत्साह का माहौल है।

मगरमच्छ को रेस्क्यू किया

कोटा, (निसं)। चंबल नदी और इसके सहायक नदी, नालों व तालाब में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पनप गए हैं। ऐसे में अब यह मगरमच्छ बारिश होने पर जब नदी नालों या तालाब में उफान आने या भोजन कि तलाश में नजदीक के सूखे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे में बीते चार दिन पहले 5 सितंबर सुबह को भी रेलवे की गोल्डन जुबली पिट लाईन पर एक 5 फीट लंबा करीब 35 किलो का मगरमच्छ पहुंच गया था जिसका रेस्क्यू फॉरेस्ट की टीम ने किया था और सोमवार सुबह फिर मगरमच्छ वहां पर देखा गया। ऐसे में वन विभाग के क्रोकोडाइल रेस्क्यू टीम के लीडर वीरेंद्र सिंह हाडा मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस 5 फीट लंबे और करीब 35 किलो वजनी मगरमच्छ को पकड़ा और बांध दिया। इसके बाद वाहन की मदद से इसे देवली अरब रोड़ स्थित नगर वन में बने क्रोकोडाइल व्यू प्वाइंट पर छोड़ा गया है। इस साल भी अब तक एक दर्जन से ज्यादा क्रोकोडाईल का रेस्क्यू किया जा चुका है। वीरेंद्र सिंह हाडा का कहना है कि मगरमच्छ भोजन की तलाश में ही रेलवे लाईन पर पहुंचा था इसके पहले भी मगरमच्छ भोजन की तलाश में ही यहां पर नजदीक के नाले से आया था।

दो दिन पिपलौद-छजावा स्टेशनों के बीच रेलवे फाटक बंद रहेगा

कोटा, (निसं)। मंडल के पिपलौद-छजावा स्टेशनों के मध्य स्थित मानवयुक्त समपार फाटक संख्या 49 10 सितंबर एवं 11 सितंबर 2024 को मेन्टेनेन्स कार्य हेतु बन्द रहेगा। रेल पथ का मेन्टेनेन्स कार्य ट्रेन संचालन हेतु अति-आवश्यक है एवं यह समपार फाटक प्रातः 08.30 बजे से शाम 18.00 बजे तक दो दिन रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। इस गेट का यातायात अटरू की तरफ आने वालों के लिए अंडरपास 54 से पास होगा एवं बारां की तरफ जाने वालों के लिए समपार फाटक सं 43 से पास होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि आमजनमानस को होने वाली असुविधा के लिए खेद है लेकिन रेलपथ का अनुरक्षण कार्य किया जाना आवश्यक है।

हिसार-तिरुपति स्पेशल के तीन फेरे निरस्त

कोटा, (निसं)। दक्षिण मध्य रेल के विजयवाड़ा-काजीपेट-बल्लारशाह खंड में वारंगल, काजीपेट और हसनपर्थी रोड स्टेशनों के बीच चार रेल लाइनों के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते मंडल के सवाई माधोपुर, कोटा एवं रामगंजमंडी होकर जाने वाली हिसार-तिरुपति-हिसार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 04717 हिसार-तिरुपति एक्सप्रेस अपने प्रारम्भिक स्टेशन से दिनांक 21.09.2024, 28.09.2024 एवं 05.10.2024 को निरस्त रहेगी एवं वापसी में गाड़ी संख्या 04718 तिरुपति-हिसार एक्सप्रेस अपने प्रारम्भिक स्टेशन से 23.09.2024, 30.10.2024 एवं 07.10.2024 को निरस्त रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, एनटीईएस अथवा रेल मदद 139 पर प्राप्त कर यात्रा करें।

माँ भारती में गणेश चतुर्थी मनाई

कोटा, (निसं)। माँ भारती सी. सै, विद्यालय सीबीएससी स्वामी विवेकानंद नगर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वन्दना के साथ की गई। इसी के तहत विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही भगवान गणेश की पौराणिक कथा के बारे में बताया। इसी अवसर पर स्कूल डायरेक्टर उर्वशी विजय ने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अंत में स्कूल प्रिंसिपल मोनिका मलिक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि हमें किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले बुद्धि के देवता श्री गणेशजी को नमन करना चाहिए।

'फसल अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई और सरकार कुम्भकर्णी निद्रा में सो रही है'

कोटा, (निसं)। भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने कई गाँवों का दौरा कर अतिवृष्टि से बर्बाद सोयाबीन व धान आदी की फसलों का जायजा लिया व इस दौरान किसानो ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे को अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों को दिखाते हुए अपनी पीड़ा बताई।

मनोज दुबे ने कहा की किसानो की फसल अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई और राजस्थान की डबल इंजन की भाजपा सरकार कुम्भकर्णी निद्रा मे सो रही है। ये केवल किसानों की फसल का नुकसान नहीं, ये किसान की आस टूटना हैं। अतिवृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। प्रथम दृष्टया फसलों का 70-80 प्रतिशत नुकसान हो चुका है। वहीं सोयाबीन, धान, मक्का, जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। भारी बरसात से गरीब किसानो के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हैं। मनोज दुबे ने कहा की कोटा संभाग में अतिवृष्टि और जलभराव की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी खरीफ की फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के आकलन का तत्काल निर्देश देना चाहिए एवं विशेष गिरदावरी करवा कर प्रभावित किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की है। इस अवसर पर किसान नेता राकेश कुमावत, मुकेश मीणा, भगवान गौतम, ओमप्रकाश गौतम, प्रेम व्यास, सत्तार, भरत मीणा, मनोज गौतम, राजू मीणा, रोहित मीणा,नरेश मीणा, छोटू लाल नायक, पुष्प दयाल मेहरा, उमेश मीणा, गिर्राज मेहरा, मधुसूदन शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, किशन मीणा, बाबूलाल मेहरा, मुकुट मेहरा, हरीश गोचर, डां.महेश पारीक, हरभजन सिंह, तुषार दुबे, कालूलाल नागर, रामपाल चौधरी, सहित कई किसान मौजूद थे।

कोटा में अतिवृष्टि से फसल बर्बादी का दावा किया जा रहा है।

'ज्ञान के माध्यम से समस्याओं का निवारण करें'

कोटा, (निसं)। छात्रों, बालकों व युवा पीढ़ी को अंधविश्वास व पाखंड के विरुद्ध सजग करने के लिए चलाए जा रहे चेतना सप्ताह के अंतर्गत आर्य समाज द्वारा आर्मी पब्लिक स्कूल में छात्र चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आर्य उप प्रतिनिधि सभा कोटा संभाग के महामंत्री एडवोकेट चंद्र मोहन कुशवाहा ने बताया कि अंधविश्वास निवारण चेतन सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को आर्मी पब्लिक स्कूल मालाफाटक कोटा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए आर्य समाज के वैदिक विद्वान आचार्य अग्निमित्र शास्त्री ने कहा कि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान सद्ज्ञान के माध्यम से करें ना की तंत्र-मंत्र और पाखंड से। उन्होंने कहा कि अज्ञान के कारण लोगों में धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, जादू, टोने-टोटके में पड़े रहते हैं। अंधविश्वास से बचने के लिए तर्क को अपना आधार बनाएं। जो तार्किक दृष्टि से सही लगे वही सत्य हैं।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक LU2012/KOT/2024-25/100772 **लोक सूचना** दिनांक : 09/09/2024

श्री DEEPAK RAJWANSHI पुत्र श्री LT.SH.BRIJNANDAN RAJWANSHI जाति MAHAJAN निवासी 2-A-8 RANGARI ROAD TALWANDI KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभीधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. AUTHORIIZED OFFICE OCF-69-331 V.T. ROAD MANSAROVAR JAIPUR(RAJ.) NIDESAK GUNJA KUMARI JAIN D/O VARDHMAN JAIN CASTE MAHAJANRESI. SADAR BAZAR BIJOLIYA DISTT. BHILWARA (RAJ.) HISSA PURNA	59	3000	0.3
			702/70	22600	2.26
2.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. AUTHORIIZED OFFICE OCF-69-331V.T. ROAD MANSAROVAR JAIPUR(RAJ.) NIDESAK NAVNEET KAUR D/O JAGTAR SINGH CASTE-SIKH RESIDENCE GRAM MADHEKE TEHSIL NIHAL SINGH WALA JILA MOGA PUNJAB HISSA PURNA KHATEDAR	72	1300	0.13
			73	900	0.09
			74	500	0.05
			75	1100	0.11
			78	4000	0.4
3.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. HISSA PURNA LANDMARK PARADISE PARISAR 33 K.V.A. GSS KE SAMENE LANDMARK CITY KUNHADI KOTA KHATEDAR	719/58	400	0.04
4.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. C.I.N. NO. U01400RJ202012PT C037774 HISSA PURNA OFFICE LANDMARK PARADISE PARISAR 33 K.V.A. GSS KE SAMENE LANDMARK CITY KUNHADI KOTA KHATEDAR	731/61	16000	1.6
5.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. NIDESAK YOGESH SHARDA S/O KRISHAN DAS SHARDA HISSA 4/5 CASTE- HINDU HOUSE NO. 698, COLONY RAJENDRAPURA 2. RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. 1/5 LANDMARK PERADISE PARISAR 33 K.V.A. GSS KE SAMENE LANDMARK CITY KUNHADI	10	6400	1.6
			8	6300	0.63
6.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. NIDESAK YOGESH SHARDA S/O KRISHAN DAS SARDA HIS.17/30 2. RESONENT WEALTH CONSELTENCY PVT. LTD. HIS.13/30 LANDMARD PERADISE PARISER	9	400	0.04
7.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. HISSA PURNA LANDMARK PARADISE PARISAR 33 K.V.A. GSS KE SAMENE LANDMARK CITY KUNHADI KOTA KHATEDAR	27	1000	0.01
8.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. AUTHORIIZED OFFICE OCF-69-331 V.T. ROAD MANSAROVAR JAIPUR(RAJ.) HISSA PURNA	54	8600	0.86
9.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. AUTHORIIZED OFFICE OCF-69-331 V.T. ROAD MANSAROVAR JAIPUR(RAJ.) NIDESAK GUNJA KUMARI JAIN D/O VARDHMAN JAIN CASTE MAHAJAN RESI. SADAR BAZAR BIJOLIYA DISTT. BHILWARA (RAJ.) HISSA PURNA	57	10000	1.0
10.	सकतपुरा, लाडपुरा (कोटा)	RESONENT WEALTH CONSLTENCY PVT LTD. AUTHORIIZED OFFICE OCF-69-331 V.T. ROAD MANSAROVAR JAIPUR(RAJ.) JARYA NIDESAK CHARANJEET KAUR D/O JAGTAR SINGH CASTE- SIKH RESIDENCE GRAM MADHEKE TEHSIL NIHAL SINGH WALA JILA MOGA PUNJAB HISSA PURNA KHATEDAR	50	700	0.07
			51	12600	1.26
			52	300	0.03
			53	2700	0.27
			56	500	0.05
				कुल	9.93

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमी के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की अभीधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लांग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आइकन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपयुक्त समय नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

जरूरतमंदों को पोषाहार वितरण के साथ गुरूओं का सम्मान

कोटा में सिंधी समाज ने गुरूओं का सम्मान किया।

कोटा, (निसं)। सिन्धी सभ्यता मण्डल द्वारा अशोका कॉलोनी स्थित नारीशाला में असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों को एक माह की राशन सामग्री वितरण का वितरण किया गया। महासचिव प्रकाश वीर नाथानी, ने बताया 136 महिलाओं जरूरतमंदो को दैनिक जीवनयापन की आवश्यक सामग्री वितरित की गई, जो कि पिछले 64 वर्षो से लगातार नियमित रूप से प्रतिमाह असहाय परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश खूबंचदानी एवं पदाधिकारियों ने पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरूआत की। उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम छाबड़िया ने बताया सांसद कोष से रा.उ.मा.विद्यालय साजीदेहड़ा के भवन का निर्माण कार्य होने के कारण विद्यालय में कक्षाऐ नहीं चल पाने के कारण अस्थाई रूप से कक्षाओं का संचालन नारीशाला में किया जा रहा है। नारीशाला में संचालित विद्यालय के अध्यापकों का सम्मान सिन्धी सभ्यता मण्डल द्वारा किया गया। पवन खूबचन्दानी ने बताया राष्ट्रपति पुरूस्कार से सम्मानित गणित विषय के शिक्षक चन्द्रप्रकाश खूबंचदानी का शॉल एवं साफा बांधकर सम्मानित किया गया। वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं को भी मिठाई देकर सम्मानित किया गया। कोषाध्यक्ष विजय ने भनानी, नन्दलाल राजानी, हरीश पंजवानी, धनराज अडवानी, रमेश वाधवानी, पीतू गेहिजा ने उपस्थित रहकर सहयोग किया।

यात्री यूटीएस एप पर टिकट बुकिंग सुविधा का ले रहे भरपूर लाभ

कोटा, (निसं)। अनारक्षित टिकट के लिए यात्रियों के समय की बचत और लाइन में लगने की झंझट से निजात दिलाने के यूटीएस ऑन मोबाइल एप की सुविधा उपलब्ध है। यात्रियों के बीच ऑनलाईन यूटीएस मोबाइल एप के द्वारा जनरल रेल टिकट लेना बेहद आसान एवं सरल प्रक्रिया होने के कारण इसका भरपूर लाभ यात्री ले रहे है। साथ ही यह यूटीएस ऑन मोबाइल एप यात्रियों के बीच अब लोकप्रिय हो गया है। यदि मंडल में यूटीएस मोबाईल एप बुकिंग आंकड़ों की बात करें तो इस सत्र पांच महीने में अगस्त माह में सर्वाधिक 1.17 लाख यात्रियों ने इस मोबाइल एप के माध्यम से कुल 35,383 टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को रुपये 31 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त मिला। जबकि यह आंकड़ा अप्रैल में 29,248 बुक टिकट पर 1.04 लाख यात्री, मई में 29,274 बुक टिकट पर 94,820 यात्री, जून में 29,178 बुक टिकट पर 1.02 लाख यात्री एवं जुलाई में 30,697 बुक टिकट पर 1.13 लाख यात्री सफ़र का है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम घनश्याम लाल से बदलकर घनश्याम लाल खत्री रख लिया है। भविष्य में इसी नाम से जाना जावे। पता-3-C-20 महावीर नगर-III कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांकः-ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2024/9755 दिनांकः 9.9.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरला तिवारी पत्नी श्री सुबोध तिवारी निवासी आवास संख्या 1-ए-46 महावीर नगर तृतीय कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 6-बी-37 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखंड संख्या 6-बी-37 महावीर नगर तृतीय कोटा क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का उक्त भूखंड का लीज डीड का निष्पादन दिनांक 29.03.2004 को राजस्थान आवासन बोर्ड कोटा द्वारा किया गया है एवं नियमितिकरण व अदेय प्रमाण पत्र के पत्र क्रमांक ले/सा./वसूली/6667 दिनांक 15.03.2000 से श्री सुबोध कुमार तिवारी पुत्र स्व. श्री प्रमोद चन्द को किया गया है। श्री सुबोध कुमार तिवारी पुत्र स्व. प्रमोद चन्द की मृत्यु दिनांक 04.06.2021 को हो जाने के उपरांत उनके जीवित विधिक वारिसान सुश्री सिद्दया तिवारी पुत्री स्व. श्री सुबोध कुमार तिवारी के द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 31.03.2024 से अपना हक अपनी माता श्रीमती सरला तिवारी पत्नी स्व. श्री सुबोध कुमार तिवारी के पक्ष में त्याग दिया है। उक्त भूखंड संख्या 6-बी-37 महावीर नगर तृतीय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/9692 दिनांकः 9.9.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धनराज गुप्ता पुत्र स्व. श्री श्रीनाथ गुप्ता निवासी भूखंड संख्या बी-298 तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या बी-298 तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या बी-298 तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ (8688)आवंटन/न.वि.न्या./71-72 दिनांक 11.07.1974 से श्री श्रीनाथ गुप्ता पुत्र श्री मांगी लाल गुप्ता को किया गया। श्री श्रीनाथ गुप्ता का देहावसान दिनांक 18.01.2008 को हो जाने के उपरांत श्री श्रीनाथ गुप्ता के विधिक वारिसान श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री श्रीनाथ गुप्ता, श्रीमती मधु बाला झालानी पुत्री स्व. श्री श्रीनाथ गुप्ता पत्नी श्री राजेश झालानी एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री श्रीनाथ गुप्ता ने जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 10.07.2024 से उक्त भूखंड में से स्वयं का हक श्री धनराज गुप्ता पुत्र स्व. श्री श्रीनाथ गुप्ता के पक्ष में त्याग दिया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

वृक्षारोपण एवं शिक्षण सामग्री वितरण

कोटा, (निसं)। कुटुर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी संस्थान द्वारा साक्षारता दिवस के उपलक्ष में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस पर संस्था द्वारा विज्ञान नगर क्षेत्र के पार्क मैं संस्था की निदेशक पूजा राजवंशी व विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और कार्यक्रम के दूसरे दिन गोबरिया बावड़ी, सुभाष नगर एवं जगपुरा में सड़क किनारे आवासित बालक एवं बालिकाओं को संस्था द्वारा अल्पाहार एवं शिक्षण सामाग्री, टिफ़िन, बोटल एवं स्कूल बैग्स का वितरण किया गया और उनके माता पिता को उनकी शिक्षा का महत्व बताया स पूजा राजवंशी ने कहा कि विशेष दिवस पर इस प्रकार के आयोजन होने चाहिऐं जिससे शिक्षा के साथ पर्यावरण के प्रति भी आमजन को जागरूक किया जा सकें।

कोटा में कुतूर इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षा सामग्री प्रदान की गई।

रजत गृह निर्माण सहकारी समिति लि. बून्दी नैनवां रोड बून्दी (राज.)

क्र.सं. 2024/72 **आम सूचना** दिनांक-06.09.2024

यह आम सूचना इस आशय की प्रकाशित की जाती है कि रजत गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड बून्दी द्वारा श्रीमती शान्ति चारण पत्नी श्री एस.एस. चारण को आवासीय भूखंड संख्या 302 साईज 60'x40' का हस्तान्तरित किया गया। श्रीमती शान्ति चारण ने श्रीमती त्रिवेणी शर्मा पत्नी श्री श्याम बिहारी भारद्वाज के नाम दिनांक 24.06.2000 को विक्रय विलेख पंजीयन करा दिया गया था। लेकिन श्रीमती त्रिवेणी शर्मा ने तत्समय आवासीय भूखंड संख्या 302 को अपने नाम हस्तान्तिरित करवाने के लिए समिति कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। श्रीमती त्रिवेणी शर्मा की मृत्यु दिनांक 11.09.2018 को व उनके पति श्री श्याम बिहारी भारद्वाज की मृत्यु दिनांक 01.04.2011 को हो जाने से उनके पुत्र श्री लोकेश बिहारी भारद्वाज ने रजिस्टर्ड हक परित्याग विलेख दिनांक 06.02.2024 के आधार पर आवासीय भूखंड संख्या 302 को अपने नाम करवाने के लिए दिनांक 29.06.2024 को प्रार्थना पत्र समिति कार्यालय में पेश किया है। इस बाबत यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से अन्दर 15 योम समिति कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत कर देवे बाद मियाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाकर आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(किरन कुमार नागर)

प्रशासक रजत गृह निर्माण सह. समिति लि. बून्दी

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/9760 दिनांकः 9.9.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जतन झाबक पत्नी स्व. शान्ती लाल झाबक निवासी-39 वल्लभ नगर विस्तार कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-39 वल्लभ नगर विस्तार कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी चम्बल सिंचाई परियोजना कोटा के क्रमांक 3989 दिनांक 25.11.1969 से श्री प्रभात त्यागी पुत्र श्री सत्यपाल त्यागी को किया गया। श्री प्रभात त्यागी पुत्र श्री सत्यपाल त्यागी ने श्री शान्ती लाल झाबक पुत्र श्री कंवर लाल को दिनांक 10.04.1992 से मुख्तारआम बनाया है। श्री शान्ती लाल झाबक पुत्र श्री कंवर लाल ने उक्त भूखंड एक वसीयतनामा दिनांक 17.12.2002 श्रीमती जतन झाबक के नाम वसीयत जारी की गई है। श्री शान्ती लाल झाबक की मृत्यु दिनांक 24.10.2002 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान श्रीमती जतन झाबक पत्नी स्व. शान्ती लाल झाबक है। श्रीमती जतन झाबक पत्नी स्व. शान्ती लाल झाबक के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/9754 दिनांकः 9.9.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल निवासी-365 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-365 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मंडी कमेटी चम्बल सिंचाई परियोजना कोटा के क्रमांक 3961 दिनांक 25.11.1969 से श्री बी.एल. अग्रवाल पुत्र श्री मूलचन्द अग्रवाल को 99 वर्षीय पट्टेदारी पर बिक्री किया गया है। बी.एल. अग्रवाल पुत्र श्री मूलचन्द अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 02.05.2008 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान श्री रमेश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल ने अपना हिस्सा पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 08.12.2023 से अपना हक श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल के पक्ष में त्याग दिया है। श्री भगवान दास अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल ने अपना हिस्सा पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 07.05.2024 से अपना हक श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल के पक्ष में त्याग दिया है। श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल ने अपने हिस्से की वसीयत पंजीकृत वसीयतनामा पत्र दिनांक 11.09.2012 से अपना हक श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल के पक्ष में की है। श्रीमती तारा अग्रवाल पुत्री स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल ने अपना हिस्सा पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 17.10.2013 से अपना हक श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल के पक्ष में त्याग दिया है। न्यायालय ADJ-1 द्वारा दीवानी वाद संख्या 166/2011 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 मकान संख्या 365 शोपिंग सेन्टर का एकमात्र स्वामी श्री जगदीश अग्रवाल को माना है। अतः न्यायालय निर्णय दिनांक 09.05.2024 एवं डिग्री दिनांक 09.05.2024 के आधार पर आवेदक श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3359 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 5.9.24

आवास संख्या 2-क्यू-11 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री बिरधी लाल सेन पुत्र श्री रामगोपाल सेन को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री